आउटसोर्स एजेन्सी से शैक्षिक स्टॉफ रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

- आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से शैक्षिक स्टॉफ रखने के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों का प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार आयोजित कराया जायेगा :–

क0सं0	विवरण	स्थल
1	पौड़ी एवं रूद्रप्रयाग जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 श्रीनगर।
2	देहरादून जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 देहरादून।
3	हरिद्वार जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 हरिद्वार।
4	टिहरी जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 नरेन्द्रनगर।
5	उत्तरकाशी जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 उत्तरकाशी।
6	चमोली जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 गौचर।
7	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 अल्मोड़ा।
8	पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 लोहाघाट।
9	नैनीताल जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 नैनीताल।
10	ऊधमसिंहनगर जनपद के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु स्थल	रा0पा0 काशीपुर।

- समस्त संस्था प्रधानाचार्य जिनमें आउटसोर्स के माध्यम से शैक्षिक कार्य हेतु शैक्षिक स्टॉफ की आवश्यकता है, वे प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से अपनी टीम के साथ प्रतिभाग करेंगे।

- प्रस्तुतिकरण स्थलों पर निर्धारित तिथि के दिन आयोजक संस्था के प्रधानाचार्य अपने जनपद हेतु इच्छुक पंजीकृत अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सूचना एवं विवरण को एक रजिस्टर में अंकित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुतिकरण दिवस पर आवेदन किया जा रहा है वह आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में सम्मिलित हो। किसी भी दशा में ऐसे अभ्यर्थी जिसका नाम आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित नहीं है, को प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाये।

- प्रस्तुतिकरण आयोजक संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा चिन्हित अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच / सत्यापन सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्य द्वारा नामित कार्मिक के सहयोग से सम्पन्न की जायेगी।

- अभिलेखों की पूर्ण जांच होने के बाद सेवा नियमावली के अनुरूप न्यूनतम अर्हता प्राप्त होने के बाद ही अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में प्रस्तुतिकरण हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

- जिस संस्था हेतु आउटसोर्स के माध्यम से शैक्षिक स्टॉफ का शार्टलिस्ट किया जाना है, उस संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अपनी अध्यक्षता में इस मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के साथ संलग्न विषय–विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतिकरण सम्पन्न किया जायेगा।

- पंजीकृत अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो लागू सेवा नियमावली के अनुसार वांछित अर्हता धारित करते हैं, में से अध्यापन योग्यता, अनुभव, प्रस्तुतीकरण क्षमता, सम्प्रेषण क्षमता आदि के आधार पर पूर्णतः पारदर्शी व भेदभाव रहित तरीके से आउटसोर्स के आधार पर कार्य योजित किये जाने विषयक कार्यवाही सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा की जायेगी। इस हेतु निम्नानुसार अंकों का विभाजन किया जा रहा है :–

Distribution of Marks			
S.No	**Discription**	**Marks Distribution**	**Maximum Marks**
1	Teaching Ability	25	25
2	Experience(Only In Government Organizations)		
3	01 Years	10	20
4	02 Years or more (Maximum)	20	
5	Presentation Ability	15	15
6	Communication Skill	10	10
7	PhD/M.Tech./M.pharma/NET/GPAT (PhD-For Applied Science & Huminities M.Tech-For Engineering etc)	20	20
8	GATE Qualified	10	10
	TOTAL		100

- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया के दौरान समिति के सामने किये गये अध्यापन/प्रस्तुतिकरण के आधार पर उपरोक्त निर्धारित तालिका में दिये गये अंको के विवरण के सापेक्ष अंक प्रदान किये जाएं। अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया है, वह प्रस्तुतिकरण सुरक्षित रखा जायेगा।

- प्रस्तुतिकरण दिवस को सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की सूची ई–मेल द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी को प्रेषित की जायेगी तथा आउटसोर्स एजेन्सी KBM Infrabuild Pvt. Ltd द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपने ऑनलाईन पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी।

- प्रस्तुतिकरण स्थलों पर आउटसोर्स एजेन्सी के पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी एजेंसी द्वारा प्रदान किये गये रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ उपस्थित होंगे। जिसका मिलान एजेंसी के पोर्टल पर उपलब्ध संकलित सूची से किया जा सकता है अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में एजेंसी के दूरभाष नम्बर 7055618228 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- जो पाठ्यक्रम केवल एक ही संस्था में संचालित हो रहे हैं यथा एग्रीकल्चर इंजी0, केमिकल इंजी0, गेमिंग एण्ड ऐनिमेशन तथा इंस्ट्रूमेन्टेशन उन संस्था प्रधानाचार्यों द्वारा अपने स्तर से विषय–विशेषज्ञों की नियुक्ति कर प्रस्तुतिकरण समय सारणी में अंकित तिथि के अनुसार सम्पन्न किये जायेंगे।

- KBM Infrabuild Pvt. Ltd द्वारा प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाली सभी जनपदवार समितियों के सदस्यों को स्कोर सीट उपलब्ध कराई जायेगी। समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंको के आधार पर वरिष्ठता क्रम में सभी अभ्यर्थियों की शार्टलिस्ट सूची तैयार की जाए।

- अगर जनपद में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं में किसी विषय में एक से अधिक रिक्तियां हैं, तो सम्बन्धित विषय के अभ्यर्थियों से प्राथमिकता के आधार पर रिक्त सीटों के सापेक्ष विकल्प लिए जाएं एवं तैयार शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची से वरीयता क्रम में सीटों का आवंटन किया जाए।

- प्रस्तुतिकरण के दौरान सभी समितियों द्वारा अनिवार्य रुप से आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- सभी अभिलेख सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगे जाने पर सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

- सभी प्रधानाचार्य यह भी सुनिश्चित करें कि प्रस्तुतिकरण में दिये अंकों के आधार पर तैयार शार्ट लिस्ट अभ्यर्थियों की सूची में केवल अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों को ही रखा जाये अगर किसी विषय या स्थान हेतु कोई अर्ह अथवा उपयुक्त अभ्यर्थी नही मिलता तो इसकी सूचना निदेशालय एवं आउटसोर्स एजेंसी को भेजे जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।